न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रंजना,
आर.जे.एस.

फौजदारी नंबरी प्रकरण संख्याः – 22/2016

एफआईआर संख्याः – 427/2015, पुलिस थाना उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता 134/187 एम.वी. एक्ट

सरकार बनाम रामवतार

सी.आई.एस. नंबर – Cr. Reg. Case/143/2026

CNR No. RJJH130006452016

निर्णय दिनांक — 30 जुलाई, 2026

भाग–प्रथम

A

परिवादी	बुद्धराम पुत्र बालुराम सैनी, निवासी वार्ड नं. 2 ग्राम चकनांगल, तहसील उदयपुरवाटी
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	रामवतार पुत्र महावीर प्रसाद, उम्र 52 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1 उदयपुरवाटी, पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं
अधिवक्ता अभियुक्त रामवतार	श्री बीरबल सैनी

B

अपराध की दिनांक	24.12.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26.12.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	13.01.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	13.01.2016
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	21.02.2017
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	30.07.2026
निर्णय दिनांक	30.07.2026

दण्डादेश की दिनांक	–

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	**रामवतार**	30.12.15	30.12.15	279, 337, 338 IPC, 134/187 एम.वी. एक्ट	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
गवाह संख्या	नाम गवाह	विवरण
पी.डब्ल्यू 1	जगदीश प्रसाद	एक्सरे लेने वाला
पी.डब्ल्यू 2	श्रीलाल	बयान धारा 161 द.प्र.सं., फर्दनक्शा मौका, फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल
पी.डब्ल्यु. 3	बलदेव	बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी.डब्ल्यु. 4	बुद्धराम	ताईद एफआईआर, फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यु. 5	कजोड़	बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी.डब्ल्यु. 6	डॉ. अरूण कुमार	ताईद चोट प्रतिवेदन, एक्सरे रिपोर्ट
पी.डब्ल्यु. 7	नन्दलाल	बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी.डब्ल्यु. 8	उम्मेद सिंह	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
पी.डब्ल्यु. 9	हरिराम	हालात तफ्तीश
पी.डब्ल्यु. 10	राकेश कुमार	फर्द जब्ती महिन्द्रा पिकअप, फर्द जब्ती कागजात

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--		

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	एक्सरे रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2	एक्सरे प्लेट
03	प्रदर्श पी 3	फर्द नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी 4	फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल
05	प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान श्रीलाल
06	प्रदर्श पी 6	साक्ष्य का बंधपत्र
07	प्रदर्श पी 7	पुलिस बयान बलदेव प्रसाद
08	प्रदर्श पी 8	तहरीरी रिपोर्ट
09	प्रदर्श पी 9	चाक एफआईआर
10	प्रदर्श पी 10	चोट प्रतिवेदन नन्दलाल
11	प्रदर्श पी 11	यांत्रिक रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी 12	फर्द जब्ती महिन्द्रा पिकअप
13	प्रदर्श पी 13	फर्द जब्ती कागजात
14	प्रदर्श पी 14	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

निर्णय **दिनांक : 30.07.2026**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी बुद्धराम ने दिनांक 25.12.2015 को पुलिस थाना उदयपुरवाटी के समक्ष टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कल दिनांक 24.12.2015 को सुबह करीब 8.00 बजे उसका भाई नन्दलाल पुत्र बालुराम,निवासी चकनांगल व श्रीलाल सैनी पुत्र लच्छुराम, निवासी इन्द्रपुरा मजदूरी पर जाने के लिए कस्बा उदयपुरवाटी के वार्ड नम्बर 1 बावड़ी स्कूल के पास लालचन्द की दुकान के पूर्वी दिशा में रास्ते के साईड में सड़क से निचे अपनी मोटरसाईकिल के पास में खड़े थे, इतने में एक वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर आरजे 02 जीए 8702 जो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही थी, का ड्राईवर वाहन को बहुत ही तेज गति व लापरवाहीपूर्वक दौड़ाता हुआ आया और गलत साईड में आकर मोटरसाईकिल के पास में खड़े उसके भाई नन्दलाल के टक्कर मारकर भाग गया, वाहन की टक्कर से उसके भाई का दाहिना पैर टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और शरीर पर काफी जगह अन्दरूनी चोटें लगी, जिसको 108 एम्बूलेंस से उदयपुरवाटी अस्पताल में ले गये वहां से सीकर के लिये रैफर करदिया और सीकर से जयपुर रैफर कर दिया। अब जयपुर में इलाज चल रहा है इत्यादि पर प्रकरण संख्या 427/2015 धारा 279, 337 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त रामवतार के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. व धारा 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी नियमित में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

2– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. एवं धारा 134/187 एमवी एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का मौखिक आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए एवं पृष्ठ संख्या 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

4– अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने गवाहान की साक्ष्य को गलत बतलाया तथा स्वयं को निर्दोष होना व झुठा फंसाया जाना बतलाया। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करनी चाही।

5– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने बाबत कोई सारभूत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

6– अतः न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.12.2015 को 08.00 एएम पर मौजा उदयपुरवाटी में वार्ड नम्बर 1 बावड़ी स्कूल के पास लालचन्द की दुकान के पूर्वी दिशा में रास्ते में वाहन पिकअप नम्बर आरजे 02 जीए 8702 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर परिवादी बुद्धराम का भाई नन्दलाल जो सड़क से निचे अपनी साईड में खड़ा था के टक्कर मारकर मानव जीवन को संकटापित किया, जिससे उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप परिवादी के भाई नन्दलाल के साधारण एवं गम्भीर चोट कारित हुई एवं वक्त दुर्घटना अभियुक्त ने आहत नन्दलाल की चिकित्सा नहीं कराकर एवं घटना की सूचना पुलिस को नहीं देकर वहां से भाग गया?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 10 गवाहान को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया है। उक्त विचारणीय बिन्दु को अभियोजन को संदेह से परे साबित करना था। हस्तगत प्रकरण परिवादी बुद्धराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी.08 पर संस्थित किया गया है। सर्वप्रथम उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन करें तो गवाह बुद्धराम ने न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.04 के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2015 को सुबह 8.00 बजे वह दुर्घटना स्थल के पास लालचन्द की दुकान पर खड़ा था वहां पर ही नन्दलाल व श्रीलाल मोटरसाईकिल के पास साईड में बावड़ी स्कूल के पास खड़े थे। फिर गिरधरपुरा की तरफ से एक पिकअप गाड़ी तेज गति से आयी और नन्दलाल के टक्कर मार दी और टक्कर मारकर पिकअप गाड़ी वाला उदयपुरवाटी की तरफ अपने वाहन को भगा ले गया। पिकअप के नम्बर आरजे 02 जीए 8770 थे। दुर्घटना से नन्दलाल का दाहिना पैर टूट गया था

तथा अन्य जगह भी चोटें आयी थी। नन्दलाल को एम्बुलेंस वाले उदयपुरवाटी अस्पताल ले गए जहां से उसको सीकर फिर जयपुर रैफर कर दिया। यह दुर्घटना पिकअप वाले चालक रामावतार द्वारा अपने वाहन को तेज गति से चलाकर लाने के कारण घटित हुई थी। दुर्घटना की तहरीर रिपोर्ट उसने अपने कथनानुसार टाईप करवाकर थाने पर दी थी जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 9 है जिसकी पुश्त पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने दुर्घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 मौके पर आकर बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना में नन्दलाल के चोटें आयी थी। उसके साथ खड़े श्रीलाल के भी साधारण चोटें आयी थी।

8– इस गवाह की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने कथन किया है कि उसने पुलिस थाना में जो तहरीरी रिपोर्ट दी थी उसमें गाड़ी के नम्बर सही नहीं थे। गाड़ी के नम्बर 8770 थे। उसने रिपोर्ट बालाजी के लड़के सुनील वकील से लिखवाई थी। उस समय वह अकेला था। रिपोर्ट में सुनील ने क्या लिखा था उसे नहीं पता क्योंकि वह पढा हुआ नहीं है।

9– इस प्रकरण का आहत नन्दलाल पी०डब्ल्यु० 7 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2015 को सुबह 8 बजे की बात थी वह व श्रीलाल मजदूरी पर जा रहे थे। गिरधरपुरा से एक पिकअप आयी और उसके टक्कर मारी। पिकअप गाडी का चालक मौके से गाडी को भगा ले गया था। पिकअप गाडी के नम्बर आरजे 02 जी 8770 थे। टक्कर लगने से वो बेहोश हो गया था। उसका दांहिना पैर टूट गया था व बायां पैर के भी चोट लगी व उसकी जांघ पर भी चोट लगी थी। उसकी चोटों का मेडिकल मुआवना हुआ था जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 है एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 02 है जो शामिल पत्रावली है।

10– इस गवाह की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने कथन किया है कि उसने क्लेम के लिए यह मुकदमा किया था। जहां पर वह खड़ा था वहां पर चौराहा है। यह सही है कि चौराहे पर घुमाव है। यह बात सही है कि घुमाव में गाड़ी धीरे होती है।

11– पी०डब्ल्यु० 2 श्रीलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2015 को सुबह 8 बजे वह अपनी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 18 एसएस 3568 से मजदूरी के लिए जा रहा था तो वह बावड़ी स्कूल के पास चौराहे पर खडा था। उसके साथ नन्दलाल भी बैठा था। फिर सीधे चौराहे से पिकअप लहराती हुई आयी जिसका नम्बर आरजे 02 जीए 8770 थे ने उसके व नन्दलाल के टक्कर मार दी। फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 18 एसएस 3568 की कार्यवाही पुलिस ने उसके सामने नहीं की। फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 4 पर उसके ए से बी हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाए थे। उसके मामूली चोटें होने के कारण उसने मेडिकल मुआयना नहीं करवाया था। इस गवाह को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है। इस गवाह से अभियोजन अधिकारी द्वारा हुई जिरह में गवाह ने पुलिस

द्वारा उससे पूछताछ करने व बयान होने के तथ्य से इन्कार किया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया है। इस सुझाव को गलत बताया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके सामने मौके पर आकर बनाया हो। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर अस्पताल में कराए थे।

12– विद्वान अधिवक अभियुक्त से हुई जिरह में गवाह ने पुलिस वालों द्वारा नक्शा मौका स्वयं के सामने बनाने से इन्कार किया है एवं उसके केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाना स्वीकार किया है। स्वयं का मेडिकल होने के तथ्य से इन्कार किया है। इस तथ्य को स्वीकार किया कि जहां दुर्घटना घटित हुई वहां पर घुमाव है एवं जहां घुमाव होता है वहां गाड़ी धीरे हो जाती है।

13– पी०डब्ल्यु० 3 बलदेव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 6 साल पहले बावड़ी स्कूल से थोड़ा पहले सड़क पर काफी भीड़ थी और एक्सीडेन्ट हो रखा था। उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसे नहीं पता कि दुर्घटना में किसके चोटें आई थी। यह दुर्घटना किस साधन व किस चालक की गलती के कारण हुई उसे नहीं पता। इस गवाह को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है। अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने पुलिस द्वारा उससे पूछताछ करने के तथ्य से इन्कार किया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया है।

14– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त से हुई जिरह में गवाह ने दुर्घटना घटित हुई तब मौके पर होने के तथ्य से इन्कार किया है। गवाह ने दुर्घटना किसकी गलती से हुई इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है।

15– पी०डब्ल्यु० 5 कजोड़ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.12.2015 को सुबह आठ बजे की बात थी वह दुर्घटना स्थल के पास लालचन्द की दुकान पर बैठा था। वहां पर ही नन्दलाल व श्रीलाल मोटर साइकिल के पास साईड में बावड़ी स्कूल के पास खडे थे। फिर गिरधरपुरा की तरफ से एक पिकअप गाडी तेज गति से आयी और नन्दलाल और श्रीलाल जो अपनी साईड में खडे थे के टक्कर मार दी और टक्कर मारकर पिकअप गाडी वाला उदयपुरवाटी की तरफ अपने वाहन को भगा ले गया। पिकअप के नम्बर 8770 थे। वह गाडी के इतने ही नंबर देख पाया क्योंकि पिकअप वाला गाडी को भगा ले गया था। पिकअप चालक रामावतार था। दुर्घटना से नन्दलाल का दांहिना पैर टूट गया था तथा अन्य जगह भी चोटें आयी थी। नन्दलाल को एंम्बुलेंस वाले उदयपुरवाटी अस्पताल ले गए जहां से उसको सीकर फिर जयपुर रैफर कर दिया। यह दुर्घटना पिकअप वाले चालक रामावतार द्वारा अपने वाहन को तेज गति से चलाकर लाने के कारण घटित हुई है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को कन्फ्रन्ट करने पर गवाह कजोड ने कहा कि उसके पुलिस बयान में अंकित आरजे 02 जीऐ 8770 पिकअप वाहन के नंबर है जो सही है।

16– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि दुर्घटना के समय लालचन्द की

दुकान के पास 5–7 आदमी खड़े रहते थे और दुर्घटनास्थल के पास बहुत सारी गाड़ियां आती जाती रहती है जो गाड़ी आती जाती है उनके नम्बर देख लेते हैं। उसके अलावा दुकान पर और कौन कौन था उसे नहीं पता। गवाह ने कथन किया कि घटना वाले दिन उसके बयान नहीं लिये थे, घटनाा के चार पांच दिन बाद लिये थे। पुलिस ने उसके सामने लालचन्द के बयान नहीं लिये। उस दिन घटना के समय लालचन्द दुकान पर ही था।

17– पी०डब्ल्यु० 6 डॉ० अरूण कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.01.2016 को सीएचसी उदयपुरवाटी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब नन्दलाल पुत्र बालूराम उम्र 45 साल निवासी ढाणी वार्ड नं. 02 चक नांगल के शरीर का मुआयना का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 तैयार किया था, जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिन्ह व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मजरूब के शरीर पर दाहिने पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। पुरानी खरोंच जो आकार में 2 गुना 3 सेमी मीटर थी जो बांई कोहनी पर थी। उक्त चोट साधारण प्रकृति व कुन्दाला कारित थी। चोट नंम्बर 01 के लिए दिनांक 08.01.2016 को उसकी उपस्थित व निर्देशन में रेडियोग्राफर जगदीश प्रसाद ने मजरूब नन्दलाल का एक्सरे प्लेट तैयार किया था। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 02 है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 01 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ मेरी राय थी। बाद एक्सरे प्लेट अवलोकन मजरूब की चोट नंम्बर 01 गंभीर प्रकृति की पायी गयी। टिबिया व फिबुला का अस्थिभंग था।

18– गवाह से हुई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि चोट संख्या 3 कोई जाहिरा चोट नहीं थी। दर्द की चोट झुठी भी हो सकती है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मजरूब उंचाई से सख्त धरातल पर पैरों के बल गिरे तो टिबिया व फिबुला की हड्डी का अस्थीभंग हो सकता है।

19– पी०डब्ल्यु० 1 जगदीश प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.01.2016 को सीएचसी उदयपुरवाटी में रेडियोग्राफर के पर पर कार्यरत था। उस दिन उसने आहत नन्दलाल के शरीर का एक्स–रे डॉक्टर ए.के. शर्मा के निर्देशन व उपस्थिति में किया था। एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी 01 व एक्स रे प्लेटे प्रदर्श पी 02 से 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

20– इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि वह चोटों की प्रकृति के बारे में नहीं बता सकता।

21– पी०डब्ल्यु० 10 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 30.12.2015 को कानि0 के पद पर थाना उदयपुरवाटी में तैनात था। उस रोज हरिराम एससी ने थाना परिसर में मेरे सामने महिन्द्र पिकअप आर जे 02 जी 8770 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 से जब्त किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। उसी रोज उक्त पिकअप के कागजात असल आरसी, इंश्योन्स व चालक रामोतार का डीएल जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 से जब्त किया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

22– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि कागजात थाने पर जब्त किये थे। वाहन के कागजात उसने नहीं देखे और वाहन चालक को उसने थाने पर देखा था मौके पर नहीं देखा।

23– पी०डब्ल्यु० 8 उम्मेद सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 30.12.2015 को कांस्टेबल चालक के पद पर थाना उदयपुरवाटी में तैनात था। उस रोज एसएचओ उदयपुरवाटी के प्रतिवेदन पर थाना परिसर मं जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप लोडिंग नम्बर आरजे 02 जी 8770 का मेकेनिकल मुवायना कर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 तैयार की थी जिस पर ए से बी उसकी रिपार्ट व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वाहन को चलाकर देखा तो वाहन में किसी प्रकार की कोई मेकेनिकल खराबी नहीं थी। वाहन के सभी सिस्टम सही कार्य कर रहे थे। गाडी के सामने का सीसा विन्ड स्क्रीन टूटा हुआ था।

24– इस गवाह से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि वाहन में ताजा दुर्घटना के कोई निशानात नहीं थे।

25– पी०डब्ल्यु० 9 हरिराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 26.12.2015 को थाना उदयपुरवाटी में एचसी के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादी बुधराम ने उपस्थित थाना होकर एसएचओ माधोराम के समक्ष एक टाइपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 पेश की जिस पर कार्यवाही पुलिस के नीचे एसएचओ माधोराम के हस्ताक्षर थे। चाक रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 पर भी सी से डी उनके हस्ताक्षर थे। उसने माधोराम के साथ कार्य किया था। इसलिये उनके हस्ताक्षर पहचानता है। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 427/2015 दर्ज कर तफ्तीश उसके जिम्मे हुई। दौराने तफ्तीश घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी 03 पर उसने तैयार किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर थे। गवाहान बुधराम, बलदेव प्रसाद, श्रीलाल, नंदलाल, कजोड के बयान उनके कथनानुसार अंकित किये। क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल आरजे 18 एसके 3568 का निरीक्षण कर मोटरसाईकिल मुकेश कुमार को सुपुर्द की। फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी प्रदर्श पी 04 उसने तैयार की जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर थे। वाहन महिन्द्रा पिकअप आरजे 02 जी 8770 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 से जब्त किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर थे। उक्त वाहन के कागजात आरसी, इन्श्योरेंस व चालक रामावतार का डीएल जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 जब्त किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वहान पिकअप के पंजीकृत स्वामी रामावतार को नोटिस 133 एमवी एक्ट दिया था जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी स्वामी का जवाब व ई से एफ वाहन स्वामी के हस्ताक्षर हैं। पिकअप का मेकेनिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल की। बाद अनुसंधान रामावतार के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 आईपीसी व धारा 134/187 एमवी एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ माधोराम के समक्ष पेश की, जिन्होंने चार्जशीट पेश न्यायालय की थी। चार्जशीट पर माधोराम के हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानता है।

26– इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि प्रदर्श पी 8 में दर्ज नम्बर पिकअप आरजे 02 जीए 8702 की ही तफ्तीश की थी। प्रदर्श पी 13 में उसने जब्तशुदा वाहन के कागजात जब्त किये थे। प्रदर्श पी 8 में दर्ज वाहन की तफ्तीश उसने नहीं की थी। वाहन उसने मौके से जब्त नहीं किया था। घटनास्थल से उसने कोई आलामात जब्त नहीं किये। दुर्घटनास्थल से उसने वाहन को जब्त नहीं किया।

27– उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में अहम गवाह स्वयं परिवादी पी०डब्ल्यु० 4 बुद्धलाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 दर्ज करवाई है, जिसमें वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर आरजे 02 जीए 8702 के चालक द्वारा वाहन को तेज गतिव लापरवाही से चलाकर अपने भाई के टक्कर मारने का तथ्य अंकित किया है। गवाह परिवादी पी०डब्ल्यु० 4 बुद्धलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में रिपोर्ट में अंकित वाहन संख्या आरजे 02 जीए 8702 से भिन्न नम्बर बताते हुए पिकअप के नम्बर आरजे 02 जीए 8770 से अपने भाई नन्दलाल की दुर्घटना होने का कथन किया है जो अपने आपमें स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई प्रदर्श पी 8 रिपोर्ट से घोर विरोधाभाषी कथन है। इस सम्बन्ध में स्वयं प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी०डब्ल्यु० 9 हरिराम परीक्षित हुआ है जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि प्रदर्श पी 8 में दर्ज नम्बर पिकअप आरजे 02 जीए 8702 की ही तफ्तीश उसने की थी। आगे जाकर अपनी जिरह में इस गवाह पी०डब्ल्यु० 9 हरिराम ने विरोधाभाषी कथन किया है कि प्रदर्श पी 8 में दर्ज वाहन की तफ्तीश उसने नहीं की थी। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी जिरह में ही गाड़ी के नम्बरों के सम्बन्ध में विरोधाभाषी कथन किया है। इस गवाह के कथनानुसार यदि यह मान भी लिया जावे कि पिकअप आरजे 02 जीए 8702 के सम्बन्ध में अनुसंधान नहीं किया तो इस गवाह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस पिकअप नम्बर के वाहन की तफ्तीश की थी। इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में अंकित कराये गये वाहन नम्बर में सुधार करते हुए प्रकरण का पी०डब्ल्यु० 7 आहत नन्दलाल व उसके साथ घटना के समय मौजूद पी०डब्ल्यु० 2 श्रीलाल ने अपनी साक्ष्य में जिस गाड़ी पिकअप से दुर्घटना होना रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 में अंकित किया गया था उससे भिन्न नम्बर आरजे 02 जीए 8770 होना बताया है। इसी प्रकार पी०डब्ल्यु० 5 कजोड़ ने भी वाहन पिकअप नम्बर 8770 से टक्कर होने का कथन किया है एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी ने इस गवाह को कन्फ्रन्ट किया है जिसमें इस गवाह ने पुनः गाड़ी पिकअप के नम्बर आरजे 02 जीए 8770 होना बताया है। इस प्रकार पिकअप नम्बर के सम्बन्ध में इस गवाह ने भी प्रदर्श पी 8 से हटकर कथन किया है, जिससे इस गवाह के बयान भी इस सम्बन्ध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। गवाहान के उक्त कथन अभियोजन कहानी से हटकर परिवर्तन या परिवर्द्धन की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार इन गवाहान की साक्ष्य दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बरों के सम्बन्ध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। गवाह पी०डब्ल्यु० 2 श्रीलाल अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही हुआ है एवं इसने पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग देने के तथ्य से इन्कार किया है।

परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में उसने मात्र अपने भाई नन्दलाल के टक्कर मारने के परिणामस्वरूप उसके चोटें आना अंकित किया है जबकि पी०डब्ल्यु० 2 श्रीलाल ने उक्त दुर्घटना में स्वयं के चोटें आने का कथन किया है किन्तु स्वयं का मेडिकल होने के तथ्य से इन्कार किया है। इस प्रकार इस गवाह ने प्रदर्श पी 8 रिपोर्ट से हटकर अपनी साक्ष्य में परिवर्तन करते हुए स्वयं के चोट आने का कथन किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। पी०डब्ल्यु० 4 परिवादी बुद्धराम द्वारा ही प्रदर्श पी 8 रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में श्रीलाल के चोटें आने का कथन अंकित नहीं किया है जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में रिपोर्ट से हटकर श्रीलाल के भी साधारण चोटें आने का कथन किया है। जहां प्रकरण के परिवादी पी०डब्ल्यु० 4 बुद्धराम व पी०डब्ल्यु० 2 श्रीलाल ने श्रीलाल के भी दुर्घटना में चोट आने का कथन किया है वहीं पी०डब्ल्यु० 5 कजोड़ व स्वयं आहत पी०डब्ल्यु० 7 नन्दलाल ने दुर्घटना में श्रीलाल के चोट आने का कथन नहीं किया है। इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसे थोड़ा क्लेम मिल गया है, और क्लेम के लिए उसने यह मुकदमा किया था और इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जहां पर वह खड़ा था, वहां चौराहा है और घुमाव भी है और इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि घुमाव पर गाड़ी धीरे होती है। इस प्रकार गवाह पी०डब्ल्यु० 4 बुद्धराम व पी०डब्ल्यु० 2 श्रीलाल के बयान भी रिपोर्ट से हटकर परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। पी०डब्ल्यु० 3 बलदेव भी प्रकरण का चश्मदीद गवाह है किन्तु यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है एवं इस गवाह ने स्वयं के सामने दुर्घटना होने के तथ्य से इन्कार किया है। साथ ही इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की कि दुर्घटना किस साधन से व किस चालक की गलती से हुई उसे नहीं पता। इस प्रकार इस गवाह के कथनों से भी अभियोजन को कोई मदद मिलना नहीं पाया जाता है। पी०डब्ल्यु० 6 डॉक्टर अरूण कुमार चिकित्सकीय साक्षी है जिसने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 , एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 2 व एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 1 के सम्बन्ध में साक्ष्य दी है किन्तु प्रकरण के उपरोक्त परिवादी पी०डब्ल्यु० 4 बुद्धराम व चश्मदीद गवाहान पी०डब्ल्यु० 2 श्रीलाल, पी०डब्ल्यु० 3 बलदेव एवं पी०डब्ल्यु० 5 कजोड़ के बयानों में विरोधाभाषी कथनों को देखते हुए इस गवाह की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार पी०डब्ल्यु० 1 जगदीश प्रसाद जिसके द्वारा आहत का एक्सरे किया जाना बताया गया है इसके कथन भी उक्त विवेचन से कोई महत्व नहीं रखते हैं। प्रकरण के अन्य गवाहान में पी०डब्ल्यु० 8 उम्मेद सिंह यांत्रिक रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 का गवाह है, जिसने दुर्घटना के कोई निशान पाने के तथ्य से इन्कार किया है। पी०डब्ल्यु० 10 राकेश कुमार फर्द जब्ती वाहन का मौतबिर गवाह है एवं पी०डब्ल्यु० 10 हरिराम अनुसंधान अधिकारी है जिसने अनुसंधान कार्यवाही के सम्बन्ध में कथन किये हैं। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में इन गवाहान की साक्ष्य मात्र औपचारिक प्रकृति की रह जाती है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई बल प्राप्त होने बाबत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

28– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.12.2015 को 08.00 एएम पर मौजा उदयपुरवाटी में वार्ड नम्बर 1 बावड़ी स्कूल के पास लालचन्द की दुकान के पूर्वी दिशा में रास्ते में वाहन पिकअप नम्बर आरजे 02 जीए 8702 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर परिवादी बुद्धराम का भाई नन्दलाल जो सड़क से निचे अपनी साईड में खड़ा था के टक्कर मारकर मानव जीवन को संकटापित किया, जिससे उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप परिवादी के भाई नन्दलाल के साधारण एवं गम्भीर चोट कारित हुई एवं वक्त दुर्घटना अभियुक्त ने आहत नन्दलाल की चिकित्सा नहीं कराकर एवं घटना की सूचना पुलिस को नहीं देकर वहां से भाग गया। अतः अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/168 एम.वी. एक्ट के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––आदेश––

29– परिणामतः अभियुक्त रामवतार पुत्र महावीर प्रसाद, उम्र 52 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1 उदयपुरवाटी, पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/168 एम.वी. एक्ट के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

30– अभियुक्त धारा **437A** दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के मुचलके प्रस्तुत करे कि इस प्रकरण में अपील/निगरानी होने की सूरत में वह स्वयं अपीलीय/निगरानी न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुरवाटी

31– निर्णय आज दिनांक **30–07–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया ।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुरवाटी